न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 4 / 2022

अनवान

1. गोर्धनसिंह पुत्र उदयसिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. छीतरसिंह पुत्र उदयसिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. टमू कंवर पुत्र शंकरसिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकरसिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. श्रवण सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. सम्पत कंवर पत्नी शंकर सिंह राजपुत निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
2. बलवन्द सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
3. रूगनाथ सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राणावत (राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री विजय सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
5. फतसिंह पुत्र श्री मदन सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
6. मनोहर सिंह पुत्र श्री माधु सिंह राणावत (राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
7. तेजसिंह पुत्र श्री मदन सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ।
8. सत्येन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह राणावत(राजपुत) निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 05.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 119 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 592 रकबा 0.9611है0, आराजी नम्बर 594 रकबा 0.3794है0 आराजी नम्बर 604 रकबा 0.2782है0 आराजी नम्बर 605 रकबा 0.5438है0 आराजी नम्बर 606 रकबा 0.2782है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.4407 है0** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.01.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने की ... नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः ... तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:00:49 IST
Reason: SelfAttested

—ःआदेशः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को ... दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 119 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 592 रकबा 0.9611है0, आराजी नम्बर 594 रकबा 0.3794है0, आराजी नम्बर 604 रकबा 0.2782है0, आराजी नम्बर 605 रकबा 0.5438है0, आराजी नम्बर 606 रकबा 0.2782है0, कुल किता 05 कुल रकबा 2.4407 है0**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा